

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-

श्री ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम,
निवासी 172 आनन्द नगर, एफसीआई धान
गोदाम के पास, पाली 306401

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर), पाली,
जिला पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 02 / 2020

R.C.M.S. No. --2020/00002

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
1-1-20	अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर), पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 15-1-20 को पेश हो।	47-48 0.1.20
15/1/20	पत्रावली काज पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी ADM पाली द्वारा पत्रावली काज पेश करने का आदेश एवं राज सायब को कोर्ट पाली के लिखे पत्र की प्रति प्रेषित की है जबकि R.T.I. के तहत वांछित सूचना उपलब्ध कराने की। इस हेतु पुनः पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 31-1-20 को पेश हो।	
31-1-20	पत्रावली काज पेश हुई। संबंधित शोधन की प्रकृति में पत्र लिखकर जाकर पत्रावली दिनांक 14-2-20 को पेश हो।	
14/2/20	पत्रावली काज पेश हुई। अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश का लोक सूचना अधिकारी (ADM) पाली के वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्दिष्ट करने का निवेदन किया है। इस निवेदन के द्वारा लोक सूचना अधिकारी को फिर जाकर पत्रावली दिनांक 42-48 डि 8-1-20 को लिखकर गये उद्योग को पत्रावली दिनांक 31-1-20 के अन्तर्गत काज कि अपीलांत को सूचना उपलब्ध करा दी गई है पत्र की प्रति पत्रावली संलग्न है।	(सूचना उपलब्ध)

जिला कलेक्टर, पाली

लोक सूचना कार्यवाही (A.D.M) वाली द्वारा नफीसोंट
को दोषित सूचना उपलब्ध करा दिए जोत से इस
नफीस के सेरों में बलमान में किसी प्रकार की
कार्यवाही होष नही रह जाती। एसी स्थिति में नफीस
नफीसोंट किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नही
होते से निरात की जाती है।

पत्रावली शुभा (केलन) की जाका
नम्बर से कम है।

जिला कलेक्टर, वाली

20-1-0

जिला कलेक्टर, वाली
शुभा (केलन) की जाका
नम्बर से कम है।

जिला कलेक्टर, वाली
शुभा (केलन) की जाका
नम्बर से कम है।

जिला कलेक्टर, वाली
शुभा (केलन) की जाका
नम्बर से कम है।